संख्या-23/2018/क0नि0-4-463/11-2018-400(26)/2006

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 14 मई, 2018**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मानक मद सं0-14 मोटर/वाहन क्रय की मद में अन्तरमूल्य की धनराशि रु0-23,160.00 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-4-वाहन क्रय-निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नया वाहन/2017-18/388/वाणिज्य कर, दिनांक 19.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 02 महिन्द्रा वाहन क्रय करने हेतु भुगतान की गई धनराशि रु0-13,75,652.00 एवं वर्तमान में जेम प्राइस के आधार पर प्रस्तुत बिल धनराशि रु0-13,98,812.00 के अंतर की धनराशि रु0-23,160.00 (रुपये तेईस हजार एक सौ साठ मात्र) व्यय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं :-

(i) अंतरमूल्य की उक्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर अपने स्तर पर संतुष्ट होने के उपरान्त नियमानुसार ही अग्रतर कार्यवाही करेंगे।

(ii) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिस कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-23/2018/क0नि0-4-463(i)/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।